

पेंशन हितग्राही अनिवार्य रूप से कराए सत्यापन, ताकि पेंशन मिलने में न हो कोई अवरोध

(विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों से निगम ने की अपील, पेंशन प्राप्त करने हेतु हितग्राही का सत्यापन जरूरी)



कोरबा 29 जनवरी 2026 —नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शासन की विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों से कहा गया है कि वे अनिवार्य रूप से हितग्राही सत्यापन का कार्य करा लें ताकि उन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित न हों। निगम ने कहा है बिना किसी दिक्कत के पेंशन प्राप्त करने हेतु हितग्राही का सत्यापन जरूरी है, सत्यापन न कराने पर पेंशन रुक सकती है। सत्यापन का कार्य निगम के मुख्य कार्यालय साकेत भवन या च्वाइस सेंटर में कराया जा सकता है।

शासन के सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित केन्द्रीय पेंशन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन मोबाईल एप बेनेफिशरी सत्यापन एप से शत प्रतिशत रूप से किया जाना है, साथ ही आधार सत्यापन हेतु हितग्राहियों से आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ मोबाईल नम्बर भी लिया जाएगा। हितग्राही नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित पेंशन शाखा अथवा अपने क्षेत्र के नजदीकी च्वाइस सेंटर में जाकर सत्यापन का कार्य अनिवार्य रूप से करा लें, ताकि उन्हें नियमित पेंशन के भुगतान में किसी प्रकार की समस्या न हों। हितग्राही इस संबंध में अपने वार्ड पार्षद से मिलकर सत्यापन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।